उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-70/2015/3084/62-2-2015-2/4(53)/2012
लखनऊ: दिनांक: 02 जून,2015

नियुक्ति/पदोन्नति/तैनाती

श्री सुभाष चन्द्र, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, को चयन समिति की बैठक दिनांक 23-7-2014 में की गयी संस्तुति के आधार पर नियमित चयनोपरांत अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई के पद पर वेतन बैंड-3, वेतनमान रू0-15600-39100, ग्रेड वेतन रू0-6600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नति प्रदान करते हुए एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखते हुए, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, लखनऊ के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- श्री सुभाष चन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि नवप्रोन्नति के फलस्वरूप अधिशासी अभियंता, लधु सिंचाई खण्ड, लखनऊ के पद का कार्यभार अविलम्ब ग्रहण करें।

ह0/
(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।

सं0-70/20153084(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, फतेहपुर/लखनऊ।
6- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, इलाहाबाद/लखनऊ।
7- कोषाधिकारी, फतेहपुर/लखनऊ।
8- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।